

न्यायालय, श्री विजय कुमार मिश्रा, अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी— प्रथम, बिरौल

सी0आर0 संख्या—02/2008
सी.आई.एस. संख्या—02/2008

03.06.2026

परिवादी कुमुद सदा कि ओर से यह परिवाद पत्र दाखिल किया गया। परिवाद में दिनांक 13.04.2026 को धारा 323, 504, 417 भा0द0वि0 के अंतर्गत माननीय न्यायालय के द्वारा संज्ञान लिया गया है। परिवादी को अपेक्षाएं दाखिल करने हेतु कई अवसर दिया गया है परंतु आज तक परिवादी के द्वारा अपेक्षाएं दाखिल नहीं किया है। परिवादी को कई अवसर देने के बाद भी सुनवाई हेतु परिवादी उपस्थित नहीं हुई। परिवादी विगत कई तिथियों से अनुपस्थित चले आ रहे हैं। इससे यह दर्शित होता है कि परिवादी को इस वाद में कोई अभिरुचि नहीं रह गया है।

अतः उपरोक्त परिवादपत्र को धारा 204(4) द0प्र0सं0 के अंतर्गत **खारिज** किया जाता है। कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करे।

लेखापित

अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी— प्रथम
बिरौल
दिनांक— 03.06.2026